राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प.1(50)राज–6/2016/102 जयपुर, दिनांकः– 27-01-2017

परिपत्र

केन्द्रीय भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 01.01.14 से लागू है। इस अधिनियम के उपबंध, राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन स्वयं के उपयोग अधिकार और नियंत्रण के लिये, जिसमें Public Sector उपक्रम और लोक प्रयोजन के लिये सम्मिलित है, लागू है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार 'लोक प्रयोजन' के लिये किया जाना है। लोक प्रयोजन को अधिनियम की धारा 3(za) में परिभाषित किया है, जिसके अनुसार धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कियाकलाप अभिप्रेत है।

कतिपय जिला कलक्टर एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा भूमि अर्जन कार्यवाही से पूर्व सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण प्रकिया की जानकारी को लेकर मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 109 के प्रयोग में राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियम 2016 राज्य में दिनांक 12.01.16 से लागू है। इन नियमों में भूमि अर्जन संबंधी प्रकिया का उल्लेख किया गया है।

जब कभी राज्य सरकार को किसी लोक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन का आशय हो तो आशय रखने वाला विभाग संबंधित जिला कलक्टर को नियम 3 में अपनी प्रार्थना से प्रेषित करेगा।

नियम 4 में जिला कलक्टर को किसी विभाग से भूमि अर्जन का आशय प्राप्त होने पर निम्न प्रकिया अपनायी जाएगी।

1. जिला कलक्टर को भूमि अर्जन आशय पत्र प्राप्त होने पर जिला कलक्टर कार्यालय पर राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि सदस्य की समिति के साथ भूमि अर्जन आशय रखने वाले विभाग के प्रतिनिधियो के साथ मौके का निरीक्षण किया जायेगा। समिति पडत भूमि की उपलब्धता एवं भूमि अर्जन आशय रखने वाले विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की सत्यापन एवं परियोजना की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी जांच करेगा। क्या भूमि अर्जन अधिनियम अन्तर्गत उक्त भूमि अर्जन की जा सकती है इस संबंध में जिला कलक्टर को नियम 4 के उप–नियम (2) अनुसार तथ्यो को समाहित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

2. समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रारम्भिक रूप से अर्जन के लिए होने वाले व्यय/लागत का estimate तैयार करेगा।

3. कलक्टर भूमि अर्जन आशय रखने वाले विभाग को यह सूचित करेगा कि क्या उक्त अर्जन पेटे राशि का प्रावधान किया गया है। यह राशि भूमि अर्जन आशय रखने वाले विभाग के पास उपलब्ध होनी चाहिये।

सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन का अवधारण

जब कभी समुचित सरकार अर्थात भू–अर्जन आशय रखने वाला विभाग किसी लोक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन का आशय रखता हो तब वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर, यथास्थिति पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करने हेतु अधिनियम की धारा 4 अन्तर्गत अधिसूचना जारी करेगी। सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण करते समय राजस्थान नियम, 2016 के नियम 6 के उप–नियम (8) अनुरूप परामर्श कस्ते समय पंचायत, नगरपालिका के सदस्यो को प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अधिसूचना हिन्दी में जारी की जायेगी। अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्र में किया जायेगा। इसका प्रकाशन संबंधित विभाग की वेबसाईट पर भी किया जायगा। अधिसूचना की प्रति को जिला कलक्टर, एसडीओ एवं तहसीलदार कार्यालय पर भी चस्पा किया जायेगा।

सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण करने हेतु एजेन्सी की नियुक्तिः–

राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6 में सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण हेतु एजेन्सी नियुक्त करने के प्रावधान है।

सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण हेतु एजेन्सी नियुक्त करने हेतु Department of Social Science of the recognized universities Non-Goverment Organization and professional से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जावेगे। प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार कर समुचित सरकार अर्थात भूमि अर्जन आशय रखने वाला विभाग एजेन्सी का चयन कर नियुक्त करेगा। एजेन्सी को व्यवहारिक दर (workable rate) तय कर कार्य सुपुर्द किया जाएगा। अधिनियम की धारा 4, 5 एवं राजस्थान नियम 7 के प्रावधानों के लोक सुनवाई की जायेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन धारा 6 के प्रावधान अनुसार किया जायेगा। धारा 4 की उप–धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण कार्य 6 माह के पूरा करना होगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा आंकलन

समुचित सरकार अर्थात भूमि अर्जन का आशय रखने वाला प्रशासनिक विभाग सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहु शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा, जो कि उसके द्वारा गठित किया जायेगा, किया जाना सुनिश्चित करेगा।

विशेषज्ञ समूह के गठन का आदेश सरकार अर्थात भूमि अर्जन आशय रखने वाला प्रशासनिक विभाग जारी करेगा। विशेषज्ञ समूह में सदस्य अधिनियम 2013 की धारा 7 की उप–धारा (2) अनुसार रहेगे।

विशेषज्ञ समूह अपने गठन से 2 माह के भीतर भूमि अर्जन करने या कदम उठाये जाने के बारे में रिपोर्ट सरकार अर्थात् भूमि अर्जन आशय रखने वाले प्रशासनिक विभाग को धारा 7 एवं राजस्थान नियम 8 अनुसार करेगी।

विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट समुचित सरकार अर्थात भूमि अर्जन आशय रखने वाले प्रशासनिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड का प्रावधान धारा 7 की उप–धारा (6) में विद्यमान है।

समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन प्रस्तावों और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा–

राजस्थान नियम 2016 के नियम 12 अनुसार सामाजिक समाधात अध्ययन निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत अभिशंषाओं के आधार पर समुचित सरकार अर्थात भूमि अर्जन आशय रखने वाला प्रशासनिक विभाग न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भूमि अर्जन का विनिश्चय ले सकेगा। राज्य सरकार अर्थात भूमि अर्जन आशय रखने वाले प्रशासनिक विभाग को विनिश्चय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जायगा।

समुचित सरकार अर्थात भूमि अर्जन का आशय रखने वाले प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चय उपरान्त धारा 11 के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जायगा।

(पी.एस.बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, संबधित प्रशासनिक विभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. राविरा, अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव